कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-ा) राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः- जी.डी.-I/ले.प.-1/ए.सी./ए.एम.सी/2024-25/ दिनांक

निविदा आमंत्रण-पत्र

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-ा) के विभिन्न कक्षों/अनुभागों में एवं ए.जी. कॉलोनी स्थित अतिथि गृहों व कार्यालय में स्थापित स्पिलिट एवं केसेट ए.सी. जिनका विवरण निम्नानुसार हैः-

Sl.No.	Name of Brand/Company of AC	Capacity of AC	Star rating	No. of AC
1	Voltas Split AC	1.5 Ton	5 Star	02 Nos.
2	Voltas Split AC	2 Ton	5 Star	23 Nos.
3	ONIDA Split AC	2 Ton	5 Star Inverter	08 Nos.
4	LG Split AC	1.5 Ton	-	01 Nos.
5	Daikin Split AC	1.5 Ton	5 Star Inverter	03 Nos.
6	Hitachi Split AC	2 Ton	5 Star Inverter	04 Nos.
7	Godrej Split AC	2 Ton	5 Star Inverter	15 Nos.
8	Voltas Split AC	2 Ton H&C	5 Star Inverter	01 Nos.
9	Voltas Cassette AC	2 Ton	3 Star	12 Nos.
10	LG Cassette AC	4 Ton	5 Star	29 Nos.
				57 Split & 41 Cassette AC

उपरोक्त सारणी में दर्शाये गये ए.सी. के वार्षिक रखरखाव हेतु दिनांक 01 अप्रेल 2024 से 31 मार्च 2025 तक (एक वर्ष) के लिए वार्षिक अनुरक्षण संविदा (AMC) के लिए निविदायें निम्नलिखित शर्तो के अधीन आमंत्रित की जाती हैः-

1. निविदा में ए.सी. के सर्विस की दरें एवं स्प्लीट ए. सी. 1.5 एवं 2.0 टन, केसेट ए.सी. 2.0 एवं 4.0 टन के सम्पूर्ण पार्ट्स की दरो की सूची (सभी करों सहित) अलग से स्पष्ट रूप से अवश्य प्रस्तुत करें।
2. सर्विस में केमिकल सर्विस, गीली सर्विस, सूखी सर्विस एवं सामान्य सर्विस शामिल होगी तथा पार्ट्स की चेकिंग आवश्यक रूप से करनी होगी।

3. फर्म को किसी भी खराब ए.सी. की लिखित या मौखिक शिकायत मिलने पर कार्यालय के जी.डी. अनुभाग के सम्बन्धित कर्मचारी को साथ लेकर उस खराब ए.सी. का निरीक्षण कर उसमें होने वाली मरम्मत, पार्ट्स को बदलने, गैस चार्जिंग इत्यादि कार्य की जाबकार्ड एवं खर्चे का आकलन कर जी.डी. अनुभाग को प्रस्तुत करना होगा एवं जी.डी. अनुभाग के अनुमोदन के पश्चात ही उक्त खराब ए.सी. मरम्मत, पार्ट्स को बदलने, गैस चार्जिंग इत्यादि कार्य करना होगा।
4. पुराने पार्ट्स जी.डी. अनुभाग में जमा कराने होगे तथा किये गये कार्य के सम्बन्ध में 07 दिवस के भीतर भुगतान हेतु तीन प्रतियों में बिल प्रस्तुत करना होगा।
5. (AMC) का भुगतान अर्द्ध-वार्षिक आधार पर दो किस्तों में किया जावेगा।
6. ए.सी. की मरम्मत के दौरान जो भी पार्ट्स बदले जायेंगे वे समान ब्राण्ड/कम्पनी के होंगे एवं उनकी वारन्टी का उल्लेख भी करना होगा।
7. ए.सी. के खराब होने की शिकायत मिलने पर उसी दिन सर्विस इन्जीनियर को मरम्मत करने के लिये भेजना होगा एवं 24 घंटों के भीतर मररमत कर ए.सी. चालू करना होगा।
8. यदि ए.सी. की मरम्मत हेतु वर्कशॉप ले जाने की आवश्यकता होती है तो कार्यालय के अधिकृत गेटपास प्राप्त करने के उपरान्त ही मशीन या पार्ट्स बाहर ले जाये जा सकते है परन्तु ले जाने के दिनांक से 02 कार्य दिवस के भीतर वापस स्थापित करना होगा।
9. मशीनों की सुरक्षा के लिये फर्म पूर्णतः जिम्मेदार होगी।
10. अनुरक्षण अवधि में ए.सी. में आई किसी भी प्रकार की खराबी को समय पर ठीक करना होगा यदि किसी कारणवश कोई ए.सी. 24/48(पार्टस बाहर से आने की दशा मे) घंटे से अधिक समय तक बंद रहता है तो रूपये 300/- प्रतिदिन की दर से भुगतान करते समय बिलों से पेनल्टी काट ली जायेगी परंतु देरी से संबंधित न्यायोचित कारण प्रस्तुत किए जाने पर आधाहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निर्णय लिया जायगा।
11. संबंधित फर्म की दरें स्वीकृत होने पर कुल संविदा राशि रु का 6000/- अमानत राशि के रूप में बैंकर्स चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट कार्यालय के राजकोष में जमा करवाना होगा। उक्त जमा अमानत राशि निर्धारित अवधि की समाप्ति के दो माह बाद वापस देय होगी ।
12. निविदा के साथ संविदा राशि 3000/-, Sr.AO/Cash, O/o The PAG (Audit-I) Rajasthan, Jaipur के नाम देय बैंकर्स चैक/डी.डी. दिनाँक ~~--/--/----~~ 7/3/2024 को शाम 03:00 बजे तक वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी जी.डी.-I के पास जमा करवाया जाना हैं। असफल निविदाताओ को निविदा खोलने के उपरांत उक्त राशि चेक को वापस लौट दिया जावेगा ।
13. यदि कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना घटित होती है तो उसके लिये कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी अर्थात यह फर्म की जिम्मेदारी होगी।
14. यह अनुबन्ध एक वर्ष के लिये किया जा रहा है परन्तु यदि इस अवधि के दौरान फर्म की सेवायें सन्तोषजनक पाई जाती है तो अनुबन्ध को आगे भी बढाया जा सकता है।
15. यदि इस अनुबन्ध की अवधि के दौरान कोई विरोधाभास होता है तो उस परिस्थिति में प्रधान महालेखाकार महोदय का निर्णय अन्तिम होगा और ठेकेदार को मान्य होगा।

16. यदि फर्म अनुबन्ध अवधि के दौरान कार्य करने में असक्षम रहती है या पाई जाती है तो उसके द्वारा जमा करायी गई अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी तथा अनुबन्ध निरस्त कर दिया जाएगा।
17. प्रधान महालेखाकार महोदय को यह अधिकार होगा कि वे किसी भी समय इस अनुबन्ध को बिना कोई कारण बताये 5 दिवस का नोटिस देकर समाप्त कर सकते है।
18. अधिक जानकारी के लिए कार्यालय की वेबसाइट www.agraj.cag.gov.in पर भी देख सकते है।

इस सम्बन्ध में अपनी दरें/निविदायें बन्द लिफाफे में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को दिनांक 07.03.2024 तक सायं 03.00 बजे तक प्रस्तुत करनी होगी। उक्त दिनांक के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(हस्ताक्षर) 27/2/24

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

जी.डी.-I